

फार्म

275/र-था/26

30/01/26

01



*** प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो साकेत त्रिपाठी, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद : अनुभाग अधिकारी
3. वर्तमान वेतन : 66,500 + अन्य अगली वेतनवृद्धि की तारीख :

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्यों के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम : साकेत त्रिपाठी

पद : अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश विधान सभा
सचिवालय, भोपाल.

374
16/3/26

02



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दीर्गानाल साकेत 2. वर्तमान धारित पद अधुना अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 47300 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2027

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम इंदौरा पोस्ट सागरा जिला सीवा (म.प्र.)	मकान	खसतान, 535	1,72,000	स्वयं	खरीद पट्टा की	कुछ नहीं	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर दीर्गानाल साकेत
नाम दीर्गानाल साकेत
पद अधुना अधिकारी

120
19/11/26

03

250
19/11/26

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनु. 21 जा. सुतलवार 2. वर्तमान धारित पद अनु. 21 अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 58,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 26

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<u>पूरी नुसार</u>			

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अनु. 21 जा. सुतलवार

नाम अनु. 21 जा. सुतलवार

पद अनु. 21 अधिकारी

386
16/3/26

04



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उमाकांत सारुजा 2. वर्तमान धारित पद अनुमानित अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 63,300 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाहपुरा (लेखार) 253	गृह	-	-	स्वयं के नाम पर	ग्राम भू, पुनः विभाजित कृषि विभाग द्वारा (बैंक से कृषि लेवल)	स्वयं निवासरत	-

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 2
16-3-26
नाम उमाकांत सारुजा
पद अनुमानित अधिकारी

25/24/26
29/01/26

फार्म

05



प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राकेश कुमार सोले 2.वर्तमान धारित पद अनुभाग अधिकारी

3.वर्तमान वेतन 62700+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम एवं तह. खिरकिया जिला-हरदा	—	कृषि 1.575 हे.	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं	विरासत से प्राप्त	25000 / —	—
भोपाल	जूनियर एम आई जी-3, सहयात्री परिसर भोपाल 602.56 स्क्वा. फिट	—	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं	स्वयं के बचत से	—	—

*जहां लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

29/01/2026

नाम :- राकेश कुमार सोले

पद :- अनुभाग अधिकारी

43
15.01.26

06



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025-26

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशीष वास्कर 2. वर्तमान धारित पद अनुभाग अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 54,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजा भोज आवासीय परिसर फेज-2 गेट-4 रमक भोपाल (म.प्र.)	निर्माणाधीन 3 नवंबर 135 वर्ग फी.	आवासीय	अनुमानित 65 लाख	श्रीमती निधि सिलो दिया (पत्नी)	खरीद, पत्नी, खिताबी (कं. बैंक 2020) इतर	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर आशीष वास्कर
नाम आशीष वास्कर
पद अनुभाग अधिकारी

39
15.01.26

04



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अभिजा 32के 2. वर्तमान धारित पद अनुशासक अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 54,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	वर्णन
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अमरावत थुई तहसील ओपल	मकान	-----	28,30786	स्वयं	अचल एवं बैंक जहाज	-----	-----

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अभिजा 32के
नाम अभिजा 32के
पद अनुशासक अधिकारी

155/22/26

21.01.26

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025-26

08

362
21/1/26

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो... देवेन्द्र प्रकाश परते, मध्यप्र. सचिव 2. वर्तमान धारित पद... अनुभाग अधिक. 3. वर्तमान वेतन... 54,100 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026.

उस जिले उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपाल तह. दुमुर जि. ओपाल	फ्लैट	—	बाजार मूल्य	हर्ष एवं पत्नी के साथ सम्मिलित नाम	होम लोन द्वारा	निरंक	निज निवासी पैसा उपयोग

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी — मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी

सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा

पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर...

नाम... देवेन्द्र प्रकाश परतेपद... अनुभाग अधिक.

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

133
20/6/26

09



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुजीत मराठी 2. वर्तमान धारित पद अनुभाग अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 54100 + अन्य अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निर्मला काहोनी मर्याद मोड पहारी हुडासिवनी जिला- सिवनी (म.प्र.)	गृह	1750 S.F.	43 लाख	स्वयं की सम्पत्ति	गृह मूल (बैंक काफ़ेजो) जिला- सिवनी (म.प्र.)	निरंक	निरंक

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथ्यांश उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम सुजीत मराठी
पद अनुभाग अधिकारी

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष दिसम्बर, 2025

137
20/1/26

10



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- नरेश कुमार हिमथानी 2. वर्तमान धारित पद- वरिष्ठ प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 1,50,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख- 1 जनवरी, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम बेहटा, तहसील हुजूर, बैरागढ़-भोपाल	भूखण्ड	प.ह.नं.23, खसरा नं.1/2/1,5/4/1,6/2 45x127=5715 SF	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं के नाम पर	एक मुश्त क्रय, म.प्र.विधान सभा सचिवालय कर्म.सह.(साख) समिति के ऋण से.	-नहीं-	
मकान नं.372, वन ट्री हिल्स, भारतीय सिन्धू हाउसिंग सोसायटी, बैरागढ़-भोपाल (म.प्र.)	भवन	30x40=1200 SF	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	श्रीमती अनीता हिमथानी, पत्नी	सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स ब्रांच, भोपाल से गृह ऋण रु. 14 लाख लेकर एवं स्वयं की बचत तथा GPF की राशि से.	-नहीं-	

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें.

हस्ताक्षर
नाम- नरेश कुमार हिमथानी
पद- वरिष्ठ प्रतिवेदक

151
20/11/26

11



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय शंकर श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रतिबंधक
3. वर्तमान वेतन 1,35,000 + ई.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मो. जाल	E-8/196 म.स. - म.र. शाहपुरा, मो. जाल.	-सी-	वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार	49% के नाम पर है - म.स. है -		निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अजय शंकर श्रीवास्तव
नाम अजय शंकर श्रीवास्तव
पद वरिष्ठ प्रतिबंधक

276/रूया/26
30/01/26

12

(31.12.2025 की स्थिति में)



फार्म

*** प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025**

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आलोक सारस्वत

2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रतिवेदक

3. वर्तमान वेतन- बेसिक पे 135000 + अन्य भत्ते

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उ. जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम बंजारी दानिश कुंज कोलार रोड भोपाल	स्वयं के निवास हेतु आवास क्र 4/201	निरंक	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं	दानिश गृह निर्माण समिति से प्लॉट क्रय किया. एसबीआई से ऋण लेकर भवन का निर्माण किया.	निरंक	निरंक
2. ग्राम बंजारी दानिश कुंज कोलार रोड भोपाल	डी के 2/96	1500 स्क्वायर फीट भूखंड	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	पुत्र श्री अमन सारस्वत	मेरे पिता श्री इंद्रजीत सारस्वत द्वारा मेरे पुत्र श्री अमन को भेंट स्वरूप दिया गया.	निरंक	निरंक
3. ग्राम बंजारी दानिश कुंज कोलार रोड भोपाल	डी के 5/29	1500 स्क्वायर फीट भूखंड	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	पत्नी श्रीमती माधवी सारस्वत	दानिश गृह निर्माण समिति से स्वयं की बचत से जनवरी 2020 में पंजीकृत	निरंक	निरंक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए.

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर 

नाम- आलोक सारस्वत
पद- वरिष्ठ प्रतिवेदक

दिसम्बर 2025 की स्थिति में

83
18/11/26

13



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कमलेश शर्मा 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 110500+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.प्र. 51, पार्क सिटी कटारा हिल्स भोपाल	म.प्र. 51 पार्क सिटी कटारा हिल्स भोपाल	840 क.फी.	38 लाख अनुमानित	स्वयं एवं पत्नी प्रियंती शर्मा शर्मा	प्रदानित कर से कर, सा.प.नि.से अग्रिम एवं स्वयं की वचनो	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर कमलेश शर्मा
नाम कमलेश शर्मा
पद वरिष्ठ प्रतिवेदक

फार्म

105
19/1/26

14



* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विवेक रंजन गुप्ता, म.प्र.विधानसभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन रु. 113800/-+ व डी.ए. अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ए-76, लेक पर्ल वेली निफ्ट एंड आयसर कंपनी के पास, भौरी भोपाल- इंदौर बायपास, भोपाल		1500 स्क्वायर फीट प्लॉट	1200000/- (बारह लाख)	पत्नी श्रीमती रचना गुप्ता के नाम से है	बैंक लोन एवं स्वयं की बचत द्वारा	निरंक	
भोपाल	1500 स्क्वायर फीट प्लॉट पर भवन ए-93, लेक पर्ल वेली निफ्ट एंड आयसर कंपनी के पास, भौरी भोपाल - इंदौर बायपास, भोपाल		3900000/- (उन्नतालीस लाख)	पत्नी श्रीमती रचना गुप्ता के नाम से है	बैंक लोन एवं स्वयं की बचत द्वारा	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम : विवेक रंजन गुप्ता
पद : वरिष्ठ प्रतिवेदक

304/25/26

30/01/26



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

15

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश सिंह, मध्य विधानसभा 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रतिवेदक
 3. वर्तमान वेतन 107400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गोपाल	लीजियल एम. आई. जी.-326 कटारा/एम. गोपाल	—	वर्तमान मूल्य 22 अगस्त	292	लेजर बैंक ऑफ इंडिया से केन लेकट एवं स्वयं के अर्जित से	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

रमेश सिंह

वरिष्ठ प्रतिवेदक

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- महेन्द्र सोनी, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय 2. वर्तमान धारित पद- वरिष्ठ प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 1,04,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख- जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय 206 अदिक क्र. 16/01/26 सचिवालय
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भूखण्ड क्र. DHV 4/085, दानिश हिल्स व्यू कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल.		भूखण्ड (1100 स्कवायर फीट) (22x50)	बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं के नाम पर	1. स्वयं की बचत, 2. भविष्य निधि, 3. एलआईसी हाउसिंग फायनेंस से ऋण लेकर	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर
नाम- महेन्द्र सोनी
पद- वरिष्ठ प्रतिवेदक

60
15.01.26

17



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो हरीशचरण तोलानी 2. वर्तमान धारित पद वरिष्ठ प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 10/200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Hus
नाम हरीशचरण तोलानी
पद वरिष्ठ प्रतिवेदक

217
27/11/26

18



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025 (31.12.2025 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आश्विनेश कुमार मेघाप्र 2. वर्तमान धारित पद प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन रु. 78,000 + भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पंचायत रापड़िया ग्राम - कटारा हिल्स तह - डुनूर जिला - भोपाल (म.प्र.)	फ्लैट फ्लैट नं. ओ 01, डेजी रो, स्प्रिंग वैली कटारा हिल्स भोपाल	-	रु. 22.00 लाख (अनुमानित)	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती रेखा मेघाप्र के नाम पर	फ्लैट मेरे द्वारा दिनांक 22.02.2012 को श्री अजय जैन, फ्लैट नं. जी. 1, दीप नगर, अशोक गार्डन से खरीदा गया. (मूल्य रु. 15.00 लाख बनाम हाउसिंग फाइनेंस से लिया गया)	रु. 60,000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीनी की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर आश्विनेश कुमार मेघाप्र 27.01.2026
नाम आश्विनेश कुमार मेघाप्र
पद प्रतिवेदक

61
15.01.26

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- रवि कुमार श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद- प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 78000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख- जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह 95, अमृत इनक्लेव, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल	-	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती रीना श्रीवास्तव	बैंक से ऋण लेकर वर्ष 2005	निरंक	निरंक
भोपाल	गृह 94, अमृत इनक्लेव, अयोध्या बायपास रोड, भोपाल	-	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती रीना श्रीवास्तव	बैंक से ऋण लेकर वर्ष 2020	निरंक	निरंक
विदिशा	-	18 बीघा, ग्राम अहमदपुर, जिला विदिशा	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं एवं माताजी श्रीमती विमला श्रीवास्तव	पैतृक	2.40 लाख	फसल

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरा दें.

हस्ताक्षर 16/1/2025
नाम- रवि कुमार श्रीवास्तव
पद- प्रतिवेदक

56
15.01.26

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

20



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **बीरेन्द्र सिंह रावत** (विधान सभा सेवा) 2. वर्तमान धारित पद : **प्रतिवेदक**

3. वर्तमान वेतन : **82,700 + अन्य**

अगली वेतनवृद्धि की तारीख : **1 जुलाई, 2026**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गेहूँखेड़ा, कोलार 6 लेन, भोपाल (म.प्र.)	म.नं. 145, मधुबन सिटी, कोलार 6 लेन रोड (डी मार्ट चौराहे के पास), भोपाल. (800 स्क्. फीट)	---	अनाकलित	स्वयं के नाम पर	स्वयं की बचत एवं पीएनबी हाउसिंग फायनेंस से लोन लेकर क्रय किया गया था.	नहीं	निरंक
नीलबड़, भोपाल (म.प्र.)	---	1,000 वर्ग फुट का प्लॉट (25 X 40)	अनाकलित	यह प्लॉट मेरी पत्नी श्रीमती विनीता रावत के नाम पर है.	मार्च, 2010 (अर्जन माह) श्री विनोद शर्मा, ए - 4, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.) से क्रय गया था.	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्यों के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम : **बीरेन्द्र सिंह रावत**

पद : **प्रतिवेदक**

मध्यप्रदेश विधान सभा
सचिवालय, भोपाल.

278/स्था/26

30/01/26

21



अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2026 (31 दिसम्बर 2025 की स्थिति में)

अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - वसंत कुमार बाथरे

वर्तमान धारित पद - प्रतिवेदक, म.प्र. विधानसभा सचिवालय (विशेष सहायक, मान. मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग)

वर्तमान वेतनमान - 78000+डी.ए. (सांतवा वेतनमान 6600 ग्रेड पे),

अगली वेतनवृद्धि की तारीख - जुलाई 2026

जिले उपसंभाग तथा ग्राम का नाम जहां सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वे किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा विवरण	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल मध्यप्रदेश	(1) गृह बी-93, न्यू मीनाल रेसिडेंसी, जे.के रोड भोपाल	निरंक	वर्तमान बाजार मूल्य दर अनुसार	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती प्रियंका बाथरे	ऋण बैंक, जी.पी.एफ. वर्ष 2007	1,20,000/-	किराया
भोपाल मध्यप्रदेश	(2) ऑफिस हॉल क्र. 1 प्रथम तल डायमंड प्लाजा बीडीए कॉम्प्लेक्स बस स्टॉप नं. 2 भोपाल	निरंक	वर्तमान बाजार मूल्य दर अनुसार	पत्नी श्रीमती प्रियंका बाथरे	ससुर द्वारा व्याज मुक्त ऋण/ऋण बैंक एवं पत्नी की बचत राशि, वर्ष 2014	बुटिक से प्राप्त आय	बुटिक संचालित है।
भोपाल मध्यप्रदेश	(3) आवासीय मकान 90, छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल	30x60=1800	वर्तमान बाजार मूल्य दर अनुसार	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती प्रियंका बाथरे	(1) आवासीय भूखण्ड 30x50=1500 पॉयल गृह निर्माण सहकारी संस्था, मर्या. भोपाल शिडीपुरम, कोलार रोड, तहसील हुजूर जिला भोपाल को 35 लाख में विक्रय करने से (मार्च 2022) (2) भारतीय स्टेट बैंक से 60 लाख का ऋण	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

(वसंत कुमार बाथरे)

विशेष सहायक

मान. मंत्री जी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग

प्रतिवेदक

म.प्र. विधानसभा

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- आकांक्षा दुबे 2. वर्तमान धारित पद- प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 75700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख- जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जूनियर एच.आई.जी- एच- 201 (के) सेक्टर अयोध्या नगर, भोपाल	गृह	-	बाजार दर के अनुसार	-	स्वयं की बचत, परिवार से आर्थिक मदद, एस.बी.आई. बैंक से ऋण लेकर	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर
20/11/2026

नाम- आकांक्षा दुबे

पद- प्रतिवेदक, म.प्र. विधान सभा
सचिवालय

27
13/1/26

23

(31.12.2025 की स्थिति में)



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पूजा उदासी विधान सभा सेवा 2. वर्तमान धारित पद प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन- बेसिक पे 75700 + अन्य भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2026

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम-रिसाली, भिलाई जिला- दुर्ग छ.ग.	फ्लैट	720 sq.ft.	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	स्वयं के नाम पर	फ्लैट सितंबर 2013 में श्री अजय तिवारी, भिलाई से एल.आई.सी.से गृह ऋण एवं स्वयं की बचत से क्रय किया गया	निरंक	
2. ग्राम- खजूरी कलान, तहसील- हजूर, जिला- भोपाल म.प्र	भवन	1035 sq.ft.	वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य अनुसार	संयुक्त रूप से स्वयं एवं पति के नाम पर	भवन जून 2017 में तनिष्का कंसट्रक्टर, भोपाल से शासन से अनुमति लेकर एच.डी.एफ.सी. से गृह ऋण, पति की भविष्य निधि की राशि एवं स्वयं की बचत से क्रय किया गया	निरंक	स्वयं के निवास हेतु उपयोग

* जहां लागू न हो काट दीजिए.

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें.

हस्ताक्षर
 नाम- पूजा उदासी
 पद- प्रतिवेदक, म.प्र. विधान सभा

13/1/2026

29
15.01.26

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2024

24



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- नीरज कुमार सैनी 2. वर्तमान धारित पद- प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 75,700 + अन्य भत्ते, अगली वेतनवृद्धि की तारीख- 01 जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला सीहोर म.प्र.	प्लॉट नंबर जी-164	प्लॉट	वर्तमान बाजार मूल्यानुसार	स्वयं के नाम पर	वर्ष 2013 में DHL INFRABULLS INTERNATIONAL Pvt. Ltd. से क्रय किया	निरंक	निरंक
अयोध्या बायपास रोड भोपाल म.प्र.	H.N. 165 800 sq.	डुप्लेक्स भवन	वर्तमान बाजार मूल्यानुसार	स्वयं के नाम पर	कांता श्रवण ज्योति बिल्डर्स से क्रय किया	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर 
नाम- नीरज कुमार सैनी
पद- प्रतिवेदक

84
16/1/26

25



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- नीलिमा वरकड़े 2. वर्तमान धारित पद- प्रतिवेदक

3. वर्तमान वेतन 75,700 + अन्य भत्ते, अगली वेतनवृद्धि की तारीख- 01 जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
म.न.ए.-9, पिनाकी होम्स कालोनी, (कोलार) तह.- हुजूर	भवन	-	अनुमानित 50 लाख रूपए	-	एलआईसी होम लोन, जीपीएफ एवं स्वयं की बचत, जनवरी 2019, श्रीमती नीलोफर खालिद, 72 रेतघाट, भोपाल (म.प्र)	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर  15/1/2026
नाम- नीलिमा वरकड़े
पद- प्रतिवेदक

62
15.01.26

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

26



1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- 1- अर्जुन कुमार डेहरिया 2. वर्तमान धारित पद- प्रतिवेदक
3. वर्तमान वेतन 75,700 + अन्य भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख- 01 जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला- भोपाल, संत आसाराम नगर, बागमुगलिया, वार्ड क्र 55, भोपाल, मप्र.	भवन आवासीय भूखंड (1790.67) वर्गफीट	- आवासीय भूखंड	वर्तमान बाजार मूल्य अनुसार	पत्नी एवं स्वयं के नाम	स्वयं की बचत एवं एचडीएफसी बैंक से ऋण लेकर असनानी बिल्डर्स से खरीदा गया.	निरंक	निरंक
जिला भोपाल, कोलार रोड, गौरव नगर, बैरागढ़ चीचली, भोपाल मप्र	एलआईजी फ्लैट (46.75 वर्गमीटर)	फ्लैट	अनुमानित 13 लाख रुपए	भाई एवं स्वयं के नाम (संयुक्त)	स्वयं की बचत एवं एचडीएफसी बैंक से ऋण लेकर एमपी हाउसिंग बोर्ड से लिया गया.	निरंक	निरंक

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें.

हस्ताक्षर

नाम- अर्जुन कुमार डेहरिया

पद- प्रतिवेदक

138
20/11/26

27



फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025-26

- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो- श्रीकान्त गुप्ता, 2. वर्तमान धारित पद- प्रतिवेदक (म.प्र.वि.सभा)
- वर्तमान वेतन 73,500 + अन्य भत्ते अगली वेतनवृद्धि की तारीख- 01 जुलाई, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है.	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम सिजहरा तह.वि.गढ जिला कटनी		कृषि भूमि 08 एकड़ बड़े भाई के सह खाते में स्वयं का 1/2 भाग	बाजार मूल्य अनुसार	भाई के साथ 1/2 भाग	पुश्तैनी		
चूनाभट्टी, भोपाल		आवासीय भवन-1174 वर्गफिट	बाजार मूल्य अनुसार	पत्नी के नाम पर	विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2024 डॉ. निति जैन से क्रय		

* जहां लागू न हो काट दीजिये.

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें.

हस्ताक्षर
नाम- श्रीकान्त गुप्ता
पद- प्रतिवेदक

142
20/1/26

28



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मध्य प्रदेश विधान सभा 2. वर्तमान धारित पद चीफ़ पार्शियल
3. वर्तमान वेतन 89,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-01-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कुछ नहीं	कुछ नहीं	—	—	कुछ नहीं	—	कुछ नहीं	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
नाम मनीष टकर
पद चीफ़ पार्शियल

69
18/11/26

29



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो केलाश गिन्गोरे 2. वर्तमान धारित पद सहा. संचा. (सु.)
3. वर्तमान वेतन RS. 73200/- + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2027

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पूर्वानुसार							

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर K. Ganga
नाम केलाश गिन्गोरे
पद सहा. संचा. (सु.)

109
19/1/26

30

226

19/1/25

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोविन्दसिंह पुंरानी 2. वर्तमान धारित पद मार्शल

3. वर्तमान वेतन 78000 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्रा०-पलखेडा वह०- विष्णुवा जि०- नर्मदापुरम	① मिट्टी का डबेल वाला कच्चा भवन 1000 फीट	① कृषि भूमि 12000	① लगभग कीमत 15,00,000 (पट्टाधार)	① स्वयं के नाम से प्रत्यक्ष संपत्ति है।	① पूर्वजों से प्राप्त पुस्तैनी है।	① कृषि आय के से होती है। (3,00,000-4000) (तीन लाख रुपये)	
② ग्रा०-पलखेडा वह०- विष्णुवा जि०- नर्मदापुरम	② -11-	② कृषि भूमि 55000	② लगभग कीमत 5,00,000 (पट्टाधार)	② स्वयं के नाम से प्रत्यक्ष संपत्ति है।	② पुस्तैनी पूर्वजों से प्राप्त	② कृषि आय के से होती है। (60,000-7000) (छह हजार रुपये)	
③ ग्रा०-पलखेडा वह०- विष्णुवा जि०- नर्मदापुरम	③ -11-	③ 30X50= 1500 फीट ला	③ लगभग 80,000 रु (अस्सी हजार)	③ स्वयं के नाम	③ पुस्तैनी	③ -11-	
④ ग्रा०-पलखेडा वह०- विष्णुवा जि०- नर्मदापुरम	④ -11-	④ कृषि भूमि 65000	④ लगभग कीमत 16,50,000 (पट्टाधार)	④ निदिनर पुंरानी (पुंर) के नाम	④ स्वर्गीय दादाजी द्वारा हस्तांतरित	④ कृषि आय के से होती है। (80,000-9000) (अस्सी हजार रुपये)	
⑤ ग्रा०-पलखेडा वह०- विष्णुवा जि०- नर्मदापुरम	⑤ 30X40 फीट मुराब पर	⑤ -11-	⑤ लगभग कीमत 8,00,000 रु (आठ लाख रुपये)	⑤ श्रीमति पुंरानी (पति)	⑤ मेरे स्वः ससुरजी व मेरे स्व पितृजी द्वारा अर्जित	⑤ -11-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

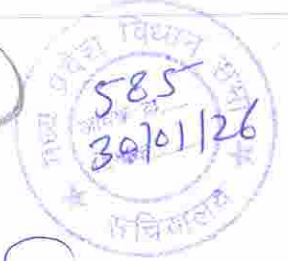
पद

गोविन्दसिंह पुंरानी
मार्शल

292/25/26

30/01/26

31



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बंशीधर शर्मा 2. वर्तमान धारित पद माशिन3. वर्तमान वेतन ₹ 78000/- पी.ए. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
①	गो.प. 215/का. जिला - सतना के पुर्नोरी गा.का. (अ. जमीन) जो पिता जी के पास है।						
②	गो.प. 114, नील बटु, अफाल के 1000 Sq. Ft. का भूखंड						
③	बराही, एच.जे. नगर सतना के 1500 Sq. Ft. का भूखंड						

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

बंशीधर शर्मा
(माशिन)

136
25/1/26

32



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अर्जुन प्रसाद शर्मा 2. वर्तमान धारित पद मार्शल
3. वर्तमान वेतन 73,200 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम वरखेडा नाचू पटवारी हल्डा नं. 33 विकास स्वयं फन्दा ग्रामीण तहसील दुजुर जिला भोपाल म.प्र.	हलार	2000 वर्ग फिट	8000000/- बारबर	श्रीमती माधुरी शर्मा पत्नी	बैंक लोन एवं अपनी प्रिजी कचन से	NIL	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर अर्जुन प्रसाद शर्मा
नाम अर्जुन प्रसाद शर्मा
पद मार्शल

123
19/11/26

33



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 25-26

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रेमचन्द कोरी 2. वर्तमान धारित पद मास्टर
 3. वर्तमान वेतन 71100+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) ग्राम राघोगढ़ तह. राघोगढ़ जि. बुन्देलखण्ड	भू. खण्ड 2000 वर्ग फीट	स्वयं के नाम	—	—	—	—	/
(2) ग्राम वरावेली तह. बुन्देलखण्ड जि. बुन्देलखण्ड	भू. खण्ड 805 वर्ग फीट निमाणाधीन	स्वयं के नाम	—	—	—	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर प्रेमचन्द कोरी
 नाम प्रेमचन्द कोरी
 पद मास्टर

115
19/11/26

34



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो धुवपाल सिंह चौहान 2. वर्तमान धारित पद माश्री
3. वर्तमान वेतन 71100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
धुवपाल सिंह चौहान आगेस्था वायपाल शेपाल तिलक चौक मधुसूदनगढ़ तिलक चौक मधुसूदनगढ़ श्री गंगा अस्पताल के सामने भूखंड अरजपुरा मधुसूदनगढ़	भवन मकान रस्ता रस्ता कृषि भूमि	1125 वर्ग फीट 1800 वर्ग फीट 1400 वर्ग फीट 900 वर्ग फीट 7 बीघा	लगभग 55 लाख लगभग 20 लाख लगभग 10 लाख लगभग 15 लाख 35 लाख	स्वयं स्वयं (संयुक्त) स्वयं स्वयं स्वयं	खरीदा 2010 विरासत विरासत विरासत विरासत		

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Bhul
नाम धुवपाल सिंह चौहान
पद माश्री

122
19/1/26

35



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गिरिन कुमार उपाध्याय 2. वर्तमान धारित पद सुरक्षा अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 71100 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भुवनेश्वर-03 ग्राम-बरखेडी कलां विकासखण्ड-फणवा तहसील-हुजूर जिला-भोपाल (म.प्र.)	-	भूखण्ड 1500 पंजीकृत	10,00000 अनुमापित	स्वयं	आधुनिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मयौं बरखेडी कलां बीलक-भोपाल	बही	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर (Signature)
नाम गिरिन कुमार उपाध्याय
पद सुरक्षा अधिकारी

257/25/26
29/01/26

36



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनवारुद्दीन खान 2. वर्तमान धारित पद सहायक सदन अधिपति
3. वर्तमान वेतन 69,000/- + अन्य अति अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) ग्राम - खडवाई, विधानसभा - खंडा, नौपाल (म-5)	-	0.41 डीमल कृषि भूमि	-		मेरे पिता द्वारा मेरे नाम से वर्ष 1997 में खरीद के गई थी जिसे उनको इच्छानुसार मेरी तौनें बहने के दान के अर्ह पावर ऑफ अफेन्स दी गई है।	निंद	-
(2) ग्राम - सागरिया, विधानसभा - खंडा, नौपाल (म-5)	-	5000 वर्ग फीट	-		मेरे पिता द्वारा मेरे नाम से वर्ष 2006 में खरीद के गई थी जिसे उनको इच्छानुसार मेरी भेंटली बहने को दान के अर्ह पावर ऑफ अफेन्स दी गई है।	निंद	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Anwar 29.01.2026
नाम अनवारुद्दीन खान
पद सहायक सदन अधिपति

367
16/3/26

37



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश कुमार त्रिपाठी 2. वर्तमान धारित पद सहायक अनुसंधान अधिकारी
3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>NA</u>							

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर राजेश कुमार त्रिपाठी
नाम राजेश कुमार त्रिपाठी
पद सहायक अनुसंधान अधिकारी
(सिपाही)

229
23/1/26

38



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष, 2025-26

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **मोहनलाल राय** 2. वर्तमान धारित पद - **निज सचिव**
3. वर्तमान वेतन - **1,01,200/-** 4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख - **जुलाई, 2026**

उक्त जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो।	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो, तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया, ***खरीद, पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिसके अर्जित की गई हों, उसका नाम तथा बयौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल, हुजूर	25 x 40 पर निर्मिम		50,00,000/-	स्वयं	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण एवं स्वयं की बचत तथा पुराना आवास बेचकर	Nil	Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलावा जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद **प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह** उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर :

नाम : मोहनलाल राय 27.01.2026

पद : निज सचिव
मोहन लाल राय
निज सचिव

290/स्था/26
30/01/26

39



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुधीर कुमार मिश्र 2. वर्तमान धारित पद जिला सचिव
3. वर्तमान वेतन 87800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - समरघा कालिदासपुर तह. दुमरा जिला - भोपाल	मकान नं. 97 (21x40=840 वर्ग फीट)		फर्चिल्लू नं. 1 लागू	स्वयं के नाम पर	विक्रय अनुबंध पत्र दि. 18/2/2008 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि. 3/7/2008 वर्षा भोपाल जिला एवं जेल प्रशासन (अ. लि.) से प्राप्त किया गया	—	—
ग्राम - जौहरी नरसिंहपुर, भोपाल	प्लॉट नं. 87 (1218 वर्ग फीट)		घ. ला. 1 लागू	स्वयं के नाम पर	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा मेसर्स सुभाष चंद्र प्रोपर्टी सोल्यूशंस से प्राप्त किया गया	—	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर सुधीर कुमार मिश्र
नाम सुधीर कुमार मिश्र
पद जिला सचिव

375
16/3/26

40



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के.पी. डिवेदी 2. वर्तमान धारित पद मि. लखिव
3. वर्तमान वेतन 80000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - नीलावड ख-1005 क्र-19 प्रजा कालोनी नीलावड मोपालि	मकान एवं ख-1005	13067 वर्ग फीट	लगभग 1-30 (एक करोड़ तीस आठ सौ पचास रु) मकान 6 फीट	श्रीमती चन्द्रकला डिवेदी (पत्नी)	श्री दिग्विजय सिंह चौहान से 11-02-2010 को कृप विवाह गण - 1	पत्नी अपना आपका विपरीत रखा प्रस्ताव करती है	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर के.पी. डिवेदी
नाम के.पी. डिवेदी
पद मि. लखिव

127
19/1/26

41



फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2025

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमजी शुक्ला 2. वर्तमान धारित पद सहायक जोगागर
3. वर्तमान वेतन 57,400 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलै - 26

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम पुआरी जिला राँची	पुस्तैली चार	कृषि भूमि	पता नहीं	स्वयं	पुस्तैली	कुछ नहीं	
ग्राम बीरवड, मोण्ड	लगा 690 Sq. Ft.	लगा	25 लाख लगभग	पति के नाम	बैंक से ऋण	-11-	
बीरवड, मोण्ड	मकान एवं लगा 1652 Sq. Ft.		30 लाख लगभग	स्वयं एवं पति के नाम	- 11 -	- 11 -	
शरगवड, मोण्ड	लगा 10 अंश कृषि भूमि	कृषि भूमि	11 लाख लगभग	पति के नाम	लगा बेस का कपड़ा	- 11 -	
बीरवड, मोण्ड	1000 Sq. Ft. लगा		4 लाख लगभग	पति के नाम	सेवा के साधन किराये में	- 11 -	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Raj
नाम रमजी शुक्ला
पद सहायक जोगागर

75
16/11/26

42



फार्म

*** प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शैलेन्द्र सिंह बैस 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रोग्रामर
3. वर्तमान वेतन 55,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/01/2027

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Sh. 16/11/26
नाम शैलेन्द्र सिंह बैस
पद सहायक प्रोग्रामर